

2025/450

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
सुनील कुमार बनाम बुधराम

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 112 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.06.2025	<p>प्रार्थी सुनील कुमार की तरफ से वकील श्री दुलीचन्द अठवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा लुणासर के ख.नं. 451/201 की 1.4231 है. व रोही मौजा पल्लू के ख.नं. 858/98 की 0.9778 है., 862/226 की 0.7187 है. कुल 1.6965 है. भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 28.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">म' सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>श.जी.नामा होने के कारण आगे चलाना नहीं चाहते सुनील कुमार पक्षीय सु-1</p>
18.8.2025	<p>वकील प्रार्थी ने अप्रार्थना - पत्र प्रिवाल पेक्षीपेक्ष करने पर अप्रार्थनी को पेक्षी में जि पा गल्ल वकील प्रार्थी ने निषेदन किया कि प्रार्थी अप्रार्थनी को श.जी.नामा हो गल्ल दस्तलिख अप्रार्थना - पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थी अप्रार्थनी में आधीज करवाना चाहते हैं। इत. अप्रार्थना पत्र प्रार्थी अप्रार्थनी में आधीज किया जाण है। प्रार्थनी नख्त से अम की जाणर आर वकील वकील जाणता काखिल दखतर हो।</p> <p style="text-align: center;">म'</p>	<p>सुनील कुमार पक्षीय सु-1</p>



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर